क्रम संख्या–198 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 23 जुलाई, 2013 ई0
श्रावण 01, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9

संख्या 343 / XXVII (9) / 2013 / स्टाम्प–20 / 2010
देहरादून, 23 जुलाई, 2013

अधिसूचना

प0 आ0–140

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचना संख्या 677 / XXVII(9) / स्टाम्प–61 / 2008 दिनांक 11.09.2009 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची–1(ख) अनुच्छेद 33 के अधीन दान की लिखतों पर प्रभार्य शुल्क में सहर्ष छूट प्रदान करते है, परन्तु यह है कि यदि दानग्रहीता, दाता के परिवार का सदस्य हो, तो स्टाम्प शुल्क की दर एक हजार रूपये या उसके भाग पर दस रूपये प्रति हजार की दर से दान की गई सम्पत्ति के बाजारी मूल्य पर देय होगी।

स्पष्टीकरण :– परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु दाता के पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती–पोतों से है।

आज्ञा से,
राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 343/2013/XXVII(9)/Stamp-20/2010, Dehradun, dated July 23, 2013 for general information:

No. 343/2013/XXVII(9)/Stamp-20/2010

Dated Dehradun, July 23, 2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) (as amended from time to time) in its application to Uttarakhand, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(Central Act No. 10 of 1897), and in partial modification of Notification No.677/XXVII(9)/stamp-61/2008 dated 11-09-2009, issued in this behalf, the Governor is pleased to remit the levied stamp duty on the instrument of Gift under Schedule 1-B article 33 of The Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899) from the date of publication of this notification in the official gazette, Provided that if the donee is the family member of the donor the rate of stamp duty shall be payable at the rate, of rupees ten for every one thousand rupees or part therof on the market value of the property which is the subject matter of the gift.

Explanation :- Family in relation to the donor for this purpose means father, mother, husband, wife, son, daughter, daughter in law, brothers, sisters and grand children.

By Order,

RAKESH SHARMA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 39 वित्त / 485—2013—100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।